केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम

3328. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में दसवीं-बारहवीं कक्षाओं में प्राथमिक कम्प्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम 300 से अधिक केन्द्रीय विद्यालयों में चलाये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन विद्यालयों और चलाये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक विद्यालयों को इस प्रयोजनार्थ अब तक आवंटित की गई आवर्ती और अनावर्ती धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन/समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा परिणाम क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता, जागरूकता और अध्ययन (क्लास) एक पूर्णत: वित्त पोषित परियोजना है। इसके अन्तर्गत 325 केन्द्रीय विद्यालयों में 1984-85 से कम्प्यूटर शिक्षा कार्यान्वित की गई है। छात्रों के मध्य कम्प्यूटर जागरूकता उत्पन्न करने और नियंत्रण एवं सूचना प्रक्रिया उपकरण के रूप में कम्प्यूटर की कार्यक्षमता से उन्हें परिचित कराना 'क्लास' परियोजना के लक्ष्य हैं।

(घ) केवल आवर्ती व्यय के रूप में 80,000/- रु. प्रति वर्ष की राशि प्रत्येक स्कूल को स्वीकृत की गई है।

(ङ) और (च) जी हां। भारत सरकार और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ने केन्द्रीय विद्यालयों सहित विभिन्न स्कूलों में 'क्लास' परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की। वहां पर इसके कार्यान्वयन में मुख्यत: विविध एजेंसियों का शामिल होना, विद्यालय समय के बाद के निर्देश, शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और अनुदेशीय सामग्री की अपर्याप्ता और निर्धारित पाठ्यक्रम न होने से संबंधित कुछ कमियों का पता चला। अत: इन कमियों के परिशोधन को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना के दौरान एक संशोधित योजना अपनाई गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नियतकालिक स्थानांतरण

3329. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 29 जुलाई, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 631 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संचालक मंडल द्वारा वर्ष 1990 में स्थानांतरण संबंधी कोई दिशा-निर्देश अनुमोदित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो प्राचार्यों और उप-प्राचार्यों से संबंधित धाराओं का पाठ क्या है; और

(ग) यदि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पांच वर्षीय स्थानांतरण नीति तैयार करने पर विचार नहीं किया जा रहा है, तो केन्द्रीय विद्यालयों के पांच वर्ष से अधिक समय के पदस्थ कर्मचारियों की संख्या और उनका विवरण एकत्र किये जाने के क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि विद्यमान नीति की कार्यात्मक समीक्षा करने के लिए कर्मचारियों के विवरण मंगाए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिशा-निर्देशों में प्राधानाचार्य तथा उप-प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण से संबंधित उपबंधों के ब्यौरे

1. ऐसी कोई नियत अवधि नहीं है कि जिसके पश्चात् किसी शिक्षक/उप-प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त (अगले वर्ष से उप-प्रधानाचार्य तथा इससे ऊपर वाले पद के लिए 5 वर्ष की अवधि) का स्थानांतरण करना आवश्यक हो।

2. रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर पी.जी.टी./उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्तों की पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती पर ही उन्हें, जहां इस समय वे तैनात हैं अथवा रह रहे हैं, के अलावा किसी अन्य राज्य में तैनात किया जाएगा और सामान्य तौर पर यदि कोई अपरिहार्य कारण नहीं है तो उन्हें कम से कम 5 वर्षों तक उस राज्य से हटाया नहीं जाएगा।